संख्या–2482/II–2013–04(02)/2011, टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2013

विषयः **नाबार्ड की RIDF-XVII के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद रूद्रप्रयाग में लस्तर बाई नहर निर्माण की योजना पर धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–7198/मुअवि/बजट/बी–1, सामान्य, दिनांक 22.08.2013 एवं शासनादेश संख्या 2743/II–2013–04(02)/2011, दिनांक 28.02.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड के ट्रैन्च RIDF-XVII के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद रूद्रप्रयाग के जखोली ब्लाक में लस्तर बाई नहर निर्माण की योजना (लागत ₹ 984.28 लाख) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में मोबलाईलेशन अग्रिम के रूप में ₹ 280.52 लाख (₹ दो करोड़ अस्सी लाख बावन हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(ii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

(iii) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(iv) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।

(vi) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

(viii) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....2

(ix) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(x) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 648/XXVII/(1)/13 दिनांक– 09 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2482(1)/II–2013–04(02)/2011, टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8– वित्त अनुभाग–1 एवं वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।